

## कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म.प्र.)

// विविध आदेश //

क्रमांक...61.../सां.लि./2025

भिण्ड, दिनांक 03/04/2025

मैं उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड, प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से कार्य-विभाजन पत्रक 2024 क्रमांक 47/कार्यविभाजन/सां.अनु./2024 भिण्ड, दिनांक 16.04.2024 (यथासंशोधन सहित) में निम्नानुसार संशोधित समाहित करता हूँ-

कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 03 एवं 04 के सरल क्रमांक 04 (द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में सरल क्रमांक 12 में वर्णित "12. तहसील भिण्ड व अटेर के अन्तर्गत घटित दुर्घटना में शरीर एवं सम्पत्ति को हुई क्षति से संबंधित क्लेम प्रकरण एवं उद्भूत समस्त कार्यवाही।" को विलोपित करते हुए पृष्ठ क्रमांक 02 के सरल क्रमांक 01 (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पूर्व से उल्लिखित प्रविष्टियों के अतिरिक्त निम्नानुसार प्रविष्टियां संयोजित की जाती है :-

**"तहसील भिण्ड व अटेर के अन्तर्गत घटित दुर्घटना में शरीर एवं सम्पत्ति को हुई क्षति से संबंधित क्लेम प्रकरण एवं उद्भूत समस्त कार्यवाही।"**

कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 05 के सरल क्रमांक 06 (चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में सरल क्रमांक 09 में वर्णित "समस्त रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय की नियमित/विविध सिविल अपील" को विलोपित करते हुए कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 01 के सरल क्रमांक 01 (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में व्यवहार प्रकरण खण्ड में स.क्र. 01 निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

**"01. वर्तमान में संचालित एवं रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय की विविध सिविल अपीलों"**

कार्यविभाजन पत्रक 2024 में मुख्यालय भिण्ड स्थित वर्तमान में संचालित एवं रिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय से पारित डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त नियमित सिविल अपीलों के कार्यविभाजन के संबंध में प्रविष्टियों को विलोपित करते हुए कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 01 के सरल क्रमांक 01 (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में व्यवहार प्रकरण खण्ड में स.क्र. 15 निम्नानुसार संयोजित किया जाता है-

**"15. वर्तमान में संचालित एवं रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड एवं समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय से पारित डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत समस्त नियमित सिविल अपीलों"**

कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 04 के सरल क्रमांक 04 (द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में सरल क्रमांक 4 में वर्णित "तहसील भिण्ड/अटेर से संबंधित एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद" को विलोपित करते हुए पृष्ठ क्रमांक 02 के सरल क्रमांक 01 (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में व्यवहार प्रकरण खण्ड में स.क्र. 16 निम्नानुसार संयोजित किया जाता है-

**"16. तहसील भिण्ड/अटेर से संबंधित एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समस्त व्यवहार वाद"**

कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 05 के सरल क्रमांक 06 (चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में सरल क्रमांक 06, 07 एवं 10 में वर्णित निम्नानुसार प्रविष्टियों को विलोपित करते हुए कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 04 के सरल क्रमांक 05 (तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में सिविल खण्ड में स.क्र. 01 लगायत 03 के रूप में निम्नानुसार संयोजित किया जाता है—

“1. तहसील रौन एवं मिहोना से संबंधित रुपये एक करोड़ से अधिक वाद मूल्यांकन के समस्त व्यवहार वाद।

2. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड लहार के न्यायालय से तहसील रौन एवं मिहोना क्षेत्राधिकार से संबंधित नियमित एवं विविध अपील।

3. मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत तहसील रौन एवं मिहोना क्षेत्रान्तर्गत दुर्घटना में हुई मृत्यु एवं दुर्घटना में आई शारीरिक क्षति के संबंध में प्रस्तुत क्लेम प्रकरण, निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां।”

कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक 117/सां.लि./2024 भिण्ड, दिनांक 14.10.2024 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 में वर्णित तथा पारिवारिक विवाद संबंधी सिविल प्रकरणों की सुनवाई हेतु तहसील अटेर से उद्भूत होने वाले प्रकरणों के संबंध में कार्यविभाजन परिवर्तित करते हुए कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 03 के सरल क्रमांक 03 (प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड) की सारणी में सिविल खण्ड में स.क्र. 14. के रूप में निम्नानुसार संयोजित किया जाता है —

“14. कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 में वर्णित तथा पारिवारिक विवाद संबंधी सिविल प्रकरणों की सुनवाई हेतु तहसील अटेर से उद्भूत होने वाले प्रकरण”

कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 10 पर रिक्त न्यायालय प्रभार की सारणी के सरल क्रमांक 1 एवं 3 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

**रिक्त न्यायालय का नाम**

**न्यायालय का नाम**

क्र	रिक्त न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार
1	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश(ट्रेनी जज) भिण्ड, षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट्रेक न्यायालय) भिण्ड एवं सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोहद स्थान भिण्ड (फास्ट्रेक न्यायालय) के द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उद्भूत समस्त आपराधिक एवं साम्प्रतिक प्रकरण।	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड	तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भिण्ड
3	भिण्ड मुख्यालय में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड	

कार्यालयीन विविध आदेश क्रमांक 36/सां.लि./2025 भिण्ड, दिनांक 27.02.2025, जिसके द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में कार्यविभाजित किया गया था, को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार कार्यविभाजन किया जाता है :-

न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	संहिता/प्रकरण/आवेदन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	तहसील भिण्ड व अटेर	1. तहसील भिण्ड एवं अटेर क्षेत्र से उत्पन्न पांच लाख एक रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक के मूल्यांकन के समस्त सिविल वाद। 2. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हो।

सारणी के कॉलम 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने एवं अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने की स्थिति अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल प्रकरणों का निपटारा क्रमशः सारणी के कॉलम 3 लगायत 5 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

क.	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड
2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड
3	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड
4	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भिण्ड के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश भिण्ड

कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 14 के सारणी के सरल क्रमांक 6 एवं 11 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

6	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद एवं मौ	1. तहसील न्यायालय गोहद क्षेत्र के एक रूपये से लेकर पांच लाख रूपये तक के मूल्यांकन के सिविल वाद एवं आवेदन। 2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त सिविल वाद, विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन पत्र। 3. विविध सिविल वाद एवं प्रवर्तन आवेदन जो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय से उत्पन्न हों। 4. तहसील न्यायालय गोहद के वर्तमान में रिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के न्यायालय के विविध सिविल वाद, प्रवर्तन प्रकरण तथा उनसे संबंधित अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त आदेशों पर कार्यवाहिया/विविध कार्यवाहियां।
11	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	तहसील गोहद एवं मौ	रिक्त न्यायालय


सारणी के कॉलम 2 में दर्शाये गये न्यायाधीश के अवकाश पर होने एवं अन्य किसी कारण से उनके कर्तव्य पर उपस्थित नहीं रहने की स्थिति अथवा उनका पद रिक्त होने की स्थिति में उनके न्यायालय के अतिआवश्यक सिविल प्रकरणों का निपटारा क्रमशः सारणी के कॉलम 3 लगायत 5 में दर्शाये गये न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा :-

क.	पदाधिकारी का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार
1	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव
2	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मेहगांव
3	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गोहद के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मेहगांव

कार्यविभाजन पत्रक 2024 के पृष्ठ क्रमांक 15 में वर्णित रिक्त न्यायालय प्रभार को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

तहसील न्यायालय गोहद में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के किसी भी रिक्त न्यायालय	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, गोहद
---	---

तदानुसार विविध आदेश जारी किया जाता है। उक्त कार्यविभाजन पत्रक तत्काल प्रभावशील होगा।


  
 (उमेश पाण्डेय)  
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
 भिण्ड (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1377 /सां.लि./2025

भिण्ड दिनांक: 03 /04 /2025

आदेशानुसार प्रतिलिपि:-

01. समस्त न्यायाधीशगण भिण्ड/लहार/गोहद/मेहगांव जिला भिण्ड (म.प्र.)
02. प्रस्तुतकार, न्यायालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड (म.प्र.)
03. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, भिण्ड (म.प्र.)
04. फाइलिंग काउण्टर अनुभाग भिण्ड (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
(उमेश पाण्डेव)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
भिण्ड (म.प्र.)